न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0 वाद सं0 29/2016 दिनांक 19/07/2016

प्रथम पक्ष – श्री मधु साहु पिता स्व0 फागु साहु, ग्राम –टुरूडू बगैरह.....।

बनाम

द्वितीय पक्ष – रन्थु साहु, पिता स्व0 भीम साहु ग्राम– टुरूडू बगैरह.....।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 01/2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) मधू साहु उम्र 57 वर्ष पिता स्व0 फगुवा साहु सा0 टुरूडू। बनाम द्वितीय पक्ष (1) रन्थु साहु उम्र 57 वर्ष (2) पुनी साहु उम्र 50 वर्ष दोनो पिता स्व0 भीम साहु (3) महेन्द्र साहु उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 अजुर्न साहु तीनो ग्राम टुरूडू थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भुमि को लेकर आपसी विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत विद्ववान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा एवं लिखित जवाब दाखिल किये है कि थाना सं0 40 के मौजा टुरूडू खाता सं0 197 प्लॉट सं0 1443 रकबा 3.22 एकड़ मे से जानिब पूरब 0.40 एकड़ जमीन का खतियानी रैयत जमीन्दार बड़ाईक मधु सुदन सिंह पिता निरंजन सिंह से प्रथम पक्ष के क्रेता झगरू लोहरा पिता चैन लोहरा ने सन् 03/03/1995 ई0 को रजिस्ट्री पट्टा संख्या 360 से क्रय किया एवं अपने नाम नामान्तरण कराकर रसीद कटाते थे। उन्ही के पुत्र साहु लोहार एवं लुदा लोहार पिता झगरू लोहरा तत्कालिन जमीन मालिक से प्रथम पक्ष मधु साहु दिनांक 18/05/1992 ई0 को पट्टा सं0 1133 के द्वारा क्रय कर विधिवत् अपने नाम से दाखिल खारिज अंचल कार्यालय कामडारा में कराकर सरकारी मालगुंजारी आ कर जोत अबाद करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष एक रजिस्ट्री पट्टा द्वारा 1.09 एकड़ खरीदगी गयी वर्ष 1957 ई0 में पश्चिम में अवस्थित है एवं सभी कागजात पूर्ण है।

विवादित भूमि को लेकर अन्य उक्त खाता के क्रेताओं से समय समय कई लड़ाई मार पीट हो चुकी है। यह कि अंचल अमीन द्वारा सीमांकन भी किया गया है। यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा जमीन मात्र फरजी हुकुमनामा के आधार पर दावा 1.01 एकड़ जमीन को किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित खाता सं0 197 के सभी जमीन का अन्तरण रजिस्ट्री बिक्री द्वारा किया गया और विधिवत दाखिल खारिज कर शांति पूर्वक जोत आबाद कर रहे है। यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा एक ही जमीन मौजा टुरूडू थाना सं0 40 के खाता सं0 197 प्लॉट सं0 1443 रकबा 1.01 एकड़ का हुकुमनामा द्वारा और वही जमीन का रकबा 1.09 एकड़ का निबंधित कराना दोनो मे से एक कागजात मान्य है क्योकि दोनो कागजात आपस में विरोधाभास होता है।

यह कि द्वितीय पक्ष के सदस्य अपने हुकुमनामा के दाखिल खारिज के लिए एक आवेदन मई 1995 में अंचल कार्यालय कामडारा में किया गया था जिसमें आम इश्तेहार के बाद प्रथम पक्ष एवं अन्य रैयतो द्वारा आपत्ति करने के कारण उपरोक्त दाखिल खारिज आवेदन अस्तीकृत किया गया। अंचल

अनुमंडल दंडाधिकारी बसिया (गुमला)

अधिकारी कामडारा द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत होने के पश्चात द्वितीय पक्ष आज तक किसी तरह का कोई अपील नहीं किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा कथा कथित हुकुमनामा द्वारा बनाया गया हुकुमनामा नहीं है द्वितीय पक्ष द्वारा कथा कथित हुकुमनामा बिल्कुल बनावटी एवं फर्जी है जिसमें जमीनदार का हस्ताक्षर भी झूठा है। द्वितीय पक्ष द्वारा जमीनदार रसीद 3 वर्ष का दिखाया जाता है तो जमीनदारी उन्नमुलन सन् 1955–56 के बाद स्वतः सरकार के राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा लगातार पंजी ii में दर्ज होकर रसीद कटना चाहिए था।

यह कि द्वितीय पक्ष का अपनी खरीदगी निबंधित जमीन के अतिरिक्त कोई जमीन का कोई कागजात नहीं है और न कोई हक सरोकार है

विषयगत जमीन को लेकर प्रथम पक्ष द्वारा सन् 2005 में एक द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विरूद्ध अनुमण्डल दण्डाधिकारी गुमला की न्यायालय में वाद सं0 एम 570/05 मधु साहु बनाम नरेन्द्र साहु बगैरह वाद लाया गया जिसमें सारी प्रतिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तत्कालिन विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी गुमला ने प्रथम पक्ष के हित में फैसला सुनाया जिसका द्वितीय पक्ष न ही अपील किया और न ही आगे की कोई कार्यवाई की गई ।

द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है।

(1) रजिस्ट्री पट्टा सं0 1133 की छाया प्रति।
(2) रजिस्ट्री पट्टा सं0 360 की छाया प्रति।
(3) लगान रसीद की छाया प्रति।

द्वितीय पक्षः– द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान के अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किये है कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध लाया गया वाद चलने योग्य नहीं है अअः द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित करते हुए प्रथम पक्ष के सदस्य को शान्ति कायम करने हेतु बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश देने की कृपा करें।

यह कि विवादित भूमि अन्तर्गत मौजा टुरूंडू थाना बसिया खाता सं0 197 प्लॉट सं0 1443 कुल रकबा 3.28 एकड़ में से 1.01 एकड़ सादा हुकुमनामा से बड़ाईक मधुसुदन सिंह से सन् 1951 ई0 में लिये थे और तब से उक्त भूति में शान्तिपूर्ण दखलकार होकर जोत वाद कर रहे है और इस वर्ष भी भी उक्त भूमि पर फसल लगाये है। द्वितीय पक्ष पुनी साहु व रंथु पिता भीम साहु के द्वारा द0प्र0सं0 145 के तहत एम0 केस नं0 129/1957 उक्त भूमि को लेकर किया गया था जिसमें द्वितीय पक्ष के पिता को दखल दिया गया था, तब से द्वितीय पक्ष उस जमीन पर शान्तिपूर्वक दखलकार होकर खेती करते आ रहे है और इस वर्ष भी द्वितीय पक्ष उसमें धान की खेती किये है। छं0 प्र0सं0 की धारा 145 के अन्तर्गत दिनांक 05/05/1958 के आदेश द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता भीम साव को विवादग्रस्त प्लॉट के पश्चिमी हिस्से 1.09 डी0 तथा पूर्वी हिस्से में 1.01 एकड़ जमीन पर कब्जा घोषित किया है। उक्त आदेश की न तो चुनौती दी गई है, न विधि सम्मत मार्ग से भीम साव को उक्त घोषित कब्जों से निष्कासित ही किया गया है। उक्त भूमि को लेकर सुकरा साव के द्वारा केस सं0 एम0 595/80 दं0प्र0सं0 धारा 144 द्वितीय पक्ष भीम साव रंथु साव पुनी साव के विरूद्ध लाया गया था उसमें भी द्वितीय पक्ष के हित में आदेश हुआ था।

द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है।

(1) उक्त विवादित भूमि से संबंधित सादा हुकुमनामा की प्रति।
(2) धारा 145 दं0प्र0सं0 145 के तहत् एम0 केस सं0 129/1957 का आदेश प्रति।

अंचल कार्यालय, कामडारा से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है :–

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

19/7/12

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का लिखित बहस और दाखिल कागजातो का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि द्वितीय पक्ष के द्वारा सादा हुकुमनामा से बड़ाईक मधुसुदन सिंह से खरिदगी भूमि है।

उक्त वाद की समयवधि समाप्त होने एंव उभय पक्षों के बीच वाद की कार्रवाई अवधि में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की सूचना थाना प्रभारी एवं अन्य स्रोतो से प्राप्त नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

19/01/17

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.12 15:21:02 +05:30
Location: 192.168.0.112